राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.५(३)नविवि / ३ / १९ पार्ट

1

())

(1))

9

-0

0

जयपुर, दिनांक

आदेश

13 0 MAN 2011

जयपुर विकास प्राधिकरण गृह निर्माण सहकारी समितियों की नियमन से लिखत योजनाओं के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपन्न जारी किये गये है। प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को नियमन से शंष बची योजनाओं के नियमन में आ रही कितनाईयों से अवगत करनाया गया है। इन कितनाईयों पर नियमन कार्य को गति देने हेतु निम्न प्रकार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

- 1. आवासीय योजनाओं में 60 प्रतिशत आवासीय एदं 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में जिनमें आवासीय क्षेत्र 70 प्रतिशत से अधिक ज्ञित कर दिया गया है, जिसके कारण इन योजनाओं के भूखण्डों का नियमन नहीं हो पा रहा है। ऐसी योजनाओं के नियमन के प्रस्ताव में छूट दिया र अपेक्षित हो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिया जायेगा।
- 2. गृह निर्माण सहकारी समिति की जो योजनाएं ओवर लेपिंग से प्रभावित होने के कारण विवादित हैं एवं ऐसे प्रकरणों में ओवर तेपिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में विधिक समाधान नहीं होने के कारण सम्पूर्ण योजना का नियमन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी योजनाओं में पक्षकारों से आपत्ति मांगी जाकर आपत्ति वाले ओवर लेपिंग क्षेत्र को छोडकर शेष योजना के नियमन की कार्यवाही की जाये।
- 3. जिन योजनाओं में खातेदार एवं गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य में भूमि विक्रय के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज या किसी भी प्रकार के दस्तावेज नगरीय निकाय के रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसी योजनाओं की मौके पर विक्रय योग्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत पर बसावट हो चुकी है मूखण्डधारी ऐसी बसावट के आधार पर मौके पर काबिज है। ऐसे प्रकरणों में :-
 - (i) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90बी की सार्वजनिक विज्ञप्ति अखबारों में जारी करते हुए योजना के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का विवरण दिया जावे व आपत्तिया आमंत्रित की जावे।
 - (ii) यदि खातेदार एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निर्धारित अवधि में पाप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुर्नग्रहण आदेश पारित किया जावे।

- (m) लगरीय निकाय रिकाय में प्रदेखापित प्राप्त व अदिलारी में अ राज्य अधिलियम, 1956 वर्ष धारा 90वी (1) के अन्तर्गत भूमि पूर्नग्रहण की कार्यक्ष कराके प्रशासत मूंगि की अकृषि कार्य सप्यांग के कारण राजकीय भूमि की तरह भौके पर कार्विन त्यांनेट के पक्ष में निगमन वर्ष कार्यगाड़ी कर सकेगा।
- (pv) एसे प्रकरणा म केंद्र रास्कारी भूमि होने के कारण निकी खातेदारी भूमि के लिक नेधिरित नियमन का दर् ही वसूल की जाकर जानटी कब्जाधारियों की पट्टा देने की कार्यवाही की जावे।
- 4. राजस्थान आवासन मण्डल, रीको तथा अन्य संस्थाओं की अवाप्तशुदा/अवाप्ताधीन भूमियों जिन पर की कॉलोनी बस चुकी है के नियमन के संबंध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(गुरदयाल सिंह संधु) प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- े. १नुख शासन सचिव माननाय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 विकिष्ण सहायक एननीय नंत्री गविवि राज जयपुर।
- महो रहिव, नुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4. विले संचिव प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभागः
- 5. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव राजस्य विभाग
- े. उप शासन सचिव प्रथम / हितीय, नगरीय विकास विभाग है के समित शासन साझद, खायत्त शासन विभाग
- साध्य, जयपुर/जाधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर ।
- 9. मुरक नगर नियोजक राजस्थान जरापुर।
- 10. निदेशक स्वायत्त शासन दिगाः।, राज्य जयपुर।
- 11. समस्त जिला कलवटर (सानख्यान)
- 12. अध्यक्ष / सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
- 13. रक्षित पत्रावली।

 \cap

 $\cap \bigcirc \mathbb{I}$

(O)

(O)

COF

 \bigcirc

00

00)

0

(पुरूषोत्तम बियाणी) शासन उप सचिव—एथम